# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )
वाद सं० : 02 सन 2022
अनवान :–

1. पपू पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. महेन्द्र पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर ।
3. सुशील पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर
4. साहबराम पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर
5. सोना पुत्री राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर

**तरतीबी अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 23/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम पपू पुत्र राममूर्ति है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम पपू पुत्र राममूर्ति दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति के स्थान पर पपू पुत्र राममूर्ति संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाव पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम पपू पुत्र राममूर्ति है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम पपू पुत्र राममूर्ति दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है जिसके सम्बध में सहखातेदारों को कोई ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम पपू पुत्र राममूर्ति है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम पपू उर्फ राममूर्ति दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक सहखातेदारों की सहमति/पेरोकार का जबाब पेश किया है जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति के स्थान पर राजेन्द उर्फ पपू पुत्र राममूर्ति संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 02/2022 अनवानी पपू बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–
1. पपू पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. महेन्द्र 3. सुशील 4 साहबराम पुत्र. राममूर्ति जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. सोना पुत्री मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर

**तरतीबी अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 02/2022 अनवानी पपू बनाम सरकार में दिनांक 23/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 302/212 की कुल 9.4470हैक भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र राममूर्ति के स्थान पर राजेन्द उर्फ पपू पुत्र राममूर्ति संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner